

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (मीलवाडा)


बंशीलाल पिता रामकिशन शर्मा नि. जहाजपुर

बनाम

मोतीलाल पिता रामकिशन शर्मा ब्राहमण नि. जहाजपुर बगैरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 24/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम को लागू करने में जारी हुई
02.03.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 226, 253/1, 7598/250, 7600/252 कुल किता 04 रकबा 1.8777 हैक्टेयर एवं आ.न. 251 रकबा 0.0405 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। परन्तु उक्त कृषि भूमि के पडोसी अप्रार्थीगण होने से उन्हें सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नहीं होने से आये दिन सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। एवं प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का सीमांकन/पत्थरगढी कराकर भूमि को उपयोगी उपजाऊ एवं विकसित करना चाहता है, इसलिये उक्त भूमि को उपयोगी एवं विकसित उपजाऊ बनाने के लिये उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 226, 253/1, 7598/250, 7600/252 कुल किता 04 रकबा 1.8777 हैक्टेयर एवं आ.न. 251 रकबा 0.0405 हैक्टेयर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(मीलवाडा)